:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/ 482 /टी0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा.2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आ दे श ::

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144)

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र0 EC|PN|23|2019 दिनांक 10/03/2019 द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2019 हेतु कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । लोक सभा निर्वाचन-2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु तथा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार बाबद् राजनैनिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा सभाएं किये जाने के संबंध में, मैं **लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत आदेशित करता हूँ कि :-

(1) **इन्दौर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत निम्नांकित स्थानों(सुझावात्मक) पर सभा करने के लिए अति0 जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर/संबंधित एस0डी0एम0/ए0आर0ओ0 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा :-**

नगरीय क्षेत्र

1. प्रगति नगर कालोनी का मैदान
2. गंजी कम्पाउण्ड मैदान
3. खातीवाला टैंक दशहरा मैदान
4. दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर
5. तेजाजी चौक मैदान राऊ,
6. श्रमिक कालोनी मैदान राऊ,
7. शास्त्री मैदान पंचम की फैल
8. गांधी हॉल मैदान, इन्दौर
9. नन्दीग्राम (स्टेडियम ग्राउण्ड) जनता क्वार्टर, इन्दौर.
10. मालवा मील जीन अनाज मण्डी के पीछे, मालवामील, इन्दौर.
11. एन0टी0सी0 कम्पाउण्ड, इन्दौर.
12. आय0टी0आय0 मैदान
13. जिन्सी हाट मैदान
14. ईदगाह मेला मैदान (सदर बाजार)
15. जी0पी0ओ0 मैदान, संयोगितागंज थाना क्षेत्र, इन्दौर
16. खिजराबाद कालोनी का मैदान, थाना खजराना क्षेत्र, इन्दौर

District Magistrate
District Indore (M.P.)

(2) **अनुभाग सांवेर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी(राजस्व) सांवेर को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा :-**

1. बाजार चौक मैदान, सांवेर
2. केशरीपुरा गोया, सांवेर
3. कुशाभाऊ ठाकरे, नया बस स्टेण्ड, सांवेर

4. कृषि उपज मण्डी, सांवेर

(3) अनुभाग देपालपुर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी(राजस्व) देपालपुर को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा :-

1. मण्डी प्रांगण, देपालपुर
2. मण्डी प्रांगण, देपालपुर
3. कॉलेज के पीछे का मैदान, देपालपुर
4. मण्डी प्रांगण, गौतमपुरा

(4) अनुभाग हातोद हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी(राजस्व) हातोद को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा :-

1. नन्दलाल चौक मैदान हातोद
2. दशहरा मैदान, इन्दौर रोड़, हातोद

(5) अनुभाग डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू) हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी(राजस्व) डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा :-

1. आजाद ग्राउण्ड, मोहन टॉकीज के पास, महू
2. गैरीसन ग्राउण्ड, ड्रीमलेण्ड चौराहा के पास, महू
3. इण्डोर स्टेडियम, टॉउन हॉल के पीछे, महू
4. स्वर्ग मंदिर मैदान, मॉल रोड़, महू

2/ उक्त निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के स्थानों/अन्य स्थानों पर सभा/नुक्कड़ सभा हेतु स्थल चयन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि सभा के आयोजन से किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो । संबंधित राजनैतिक दल/अभ्यर्थी ऑटो रिक्शा में माईक लगाकर नुक्कड़ सभा आयोजित कर सकते है । इस हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थान/मंच/वाहन एवं लाउड स्पीकर(माईक) की भी अनुमति लेना आवश्यक होगा, यह अनुमतियां संबंधित असि0 रिटर्निंग ऑफिसर अपने सम्बन्धित क्षेत्र के लिये जारी करेंगे ।"

3/ अनुमति हेतु आवेदन उपरोक्तानुसार अधिकारियों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 04 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा । राजनैतिक दलों/अभ्यथियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

4/ राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को स्थान के अधिपति/स्वामी/स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत् पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं हेतु निर्धारित धनराशि अनुमति उपरांत भुगतान करनी होगी ।

INDORE (M.P.)

District Magistrate Indore (M.P.)

5/ यदि एक स्थान के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिए सभा की अनुमति किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चाही जाती है तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेंगी ।

6/ चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा ।

7/ सभा के आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सभा में विध्न डालने वाले या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें । स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करें । कार्यपालिक दण्डाधिकारी के निर्देशों एवं सलाह का पालन करें ।

8/ लाउड स्पीकर की यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग की अनुमति उपरोक्तानुसार अधिकारियों से पृथक से प्राप्त करना होगी । बैठक की समय सीमा माईक, टेंट व्यवसाईयों पर भी लागू होगी ।

9/ यह कि निर्गत अनुमति संबंधित असि0 रिटर्निगं ऑफिसर द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेंगी ।

10/ सभा/नुक्कड़ सभा में होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा ।

11/ उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है । उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

(लोकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक/ 483 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।

8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /कनाड़िया/ भिचौली हप्सी/खुड़ैल/कम्पेल/डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू)/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M. P.)